कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल– व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अश्वनि कुमार शुक्ला पुत्र योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी शुक्लनपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–106/21, 02. रघुराज पुत्र अयोध्या निवासी सरैय्या माफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–107/21 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुखराम पुत्र फुलचन्द्र निवासी जैनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–181/21, 02. सुरेन्द्र निषाद पुत्र सालिक राम निवासी दुल्लाहपुर पाण्डेय पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–183/21 धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. भोलू पुत्र जगदीश नि0 ठिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–262/21, 02. वंशराज पुत्र स्व0 बुधराम नि0 ठिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–263/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 03.07.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त माधवराज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. माधवराज पाण्डे पुत्र राम आशीष पाण्डे नि0 नेवादा हासिमपुर मौजा कटका थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 108/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तारकर्ता-

01.उ0नि0 बृजेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.07.2021

छेडछाड करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–217/21, धारा 354 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों– 01. विनोद कोरी, 02. चन्दन वर्मा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली लड़की के साथ छेडछाड किया था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. विनोद कोरी पुत्र बिल्लू कोरी नि0 टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. चन्दन वर्मा पुत्र पल्लू वर्मा नि0 टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0–217/21, धारा–354 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 सुशील कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.07.2021

01 माह के गायब नवजात शिशु को थाना खरगूपुर पुलिस ने 48 घण्टे में किया सकुशल बरामदः–

दिनांक 01.07.2021 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बल्दीजोत भंगहा निवासी राकेश कुमार पुत्र श्री रामअछेवर का एक माह का शिशु शिवम बिस्तर से सोते हुए अचानक गायब हो गया था। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर थानाध्यक्ष खरगूपुर को बच्चे की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए थे। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में टीमें बनाकर बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए लगाई गई थी, डाग स्क्वायड व सर्विलांस टीम को भी बच्चे की खोजबीन के लिए लगाया गया था।

पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के फलस्वरूप तथा खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त बच्चे की बरामदगी के लिए किए गए प्रयासों के क्रम में आज दिनांक 03.07.2021 को थाना खरगूपुर पुलिस ने उक्त शिशु को थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही भरियालबेदपुर ओमसाईं स्कूल के पास एक खम्भे पर लटकी हरे रंग की टोकरी से सकुशल बरामद कर लिया गया। तत्काल बच्चे के माता–पिता को सूचित कर बुलाया गया माता–पिता के संरक्षण में ही बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराकर सकुशल उसके माता–पिता के सुपुर्द किया गया।

बरामद शिशु–

01. शिवम (उम्र–01 माह) पुत्र राकेश कुमार नि0 बल्दीजोत भंगहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–177/21, धारा 363 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामद कर्ता टीमः–

प्रभारी निरीक्षक खरगूपुर अशोक कुमार सोनकर मय टीम।